

ग्राम पंचायत धरमाण, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत धरमाण, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री संजय कुमार	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमति कुसुम लता	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री संजय कुमार	01.04.13 से 19.12.13
2	श्री सुरेन्द्र कुमार	20.12.13 से 31.03.16

ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत धरमाण के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.3	नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे तैयार न करना	-
2	पैरा-5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना	0.06
3	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	9.68

4	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	9.39
5	पैरा-9	निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना	-

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत धरमाण, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 03.09.16 से 07.09.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 3/15 व 7/15 तथा 11/13, 6/14 व 1/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत धरमाण, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि 0प्र0) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 206 दिनांक 07.09.16 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 117031 (HPSCB) दिनांक 14.09.16 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि 0प्र0) शिमला-171009 को प्रेषित की गई है।

4. वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत धरमाण , द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्रोत :-** ग्राम पंचायत धरमाण, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	108955	36154	145109	17715	127394
2014-15	127394	38449	165843	13994	151849
2015-16	151849	49303	201152	3197	197955

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत धरमाण, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	334934	2784080	3119014	2916957	202057
2014-15	202057	3749613	3951670	3499659	452011
2015-16	452011	4511554	4963565	3995724	967841

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 197955

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 967841

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 1165796

हस्तगत राशि : ₹ 0

अन्तर की राशि : ₹ 0

बैंक खाता संख्या	राशि
MNREGA, HGB – 0143693	0
General, MP,LADA,BASP,IAAY,RAY,SBM KCCB – 07839	476404
13 TH FC, Own Source PNB – 07760	689392
कुल राशि	1165796

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत धरमाण की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अपेक्षित था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.3 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे तैयार न करना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया था । अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त स्वः स्रोत आय को खाता-क व अनुदानों को खाता -ख में जमा करना सुनिश्चित करें ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.06 की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से जांच करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी

जो कि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें । निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹5590 की वसूली शेष थी ।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	2340	6625	8965	6075	2890
2014-15	2890	6625	9515	0	9515
2015-16	9515	6725	16240	10650	5590

2 भू- राजस्व की वसूली न करना :- पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2013-14 से 2015-16 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की गई थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

6 अनुदान ₹ 9.68 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹967841 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः

अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹500000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका एवं इन कार्यों के मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹9.39 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹939000 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं

को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना :-

1. “नि. पक्का रास्ता नेर , सरमाण” : माप पुस्तिका 7304 पृष्ठ 49-51 में निर्माण कार्य “नि. पक्का रास्ता नेर , सरमाण” के परिमाण की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट , रेत व बजरी की खपत से संबन्धित एक मद “ P/L C:C 1:2:4 (20 mm Nominal size)” का निष्पादन किया गया था , जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा (20mm एवं 75mm)
P/L C:C 1:2:4 (20 mm Nominal size) 12.75 CUM	12.75 X 6.40 = 82 बैग	12.75 X 0.425 = 5.41 CUM OR 190 CFT	12.75 X 0.89 = 11.35 CUM OR 400 CFT

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 82 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 70 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था जबकि रेत व बजरी की खपत 590 CFT की गई दर्शाई गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट , रेत व बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवत्ता पर संदेह पैदा होता है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें ।

2. “नि. पक्का रास्ता गाँव नेर से घराडू” : माप पुस्तिका 7304 पृष्ठ 52-54 में निर्माण कार्य “नि. पक्का रास्ता गाँव नेर से घराडू ” के परिमाण की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट , रेत व बजरी की खपत से संबन्धित एक मद “ P/L C:C 1:2:4 (20 mm Nominal size)” का निष्पादन किया गया था , जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा (20mm एवं 75mm)
P/L C:C 1:2:4 (20 mm Nominal size) 17 CUM	17 X 6.40 = 109 बैग	17 X 0.425 = 7.225 CUM OR 255 CFT	17 X 0.89 = 15.13 CUM OR 534 CFT

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 109 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 90

बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था जबकि रेत व बजरी की खपत 792 CFT की गई दर्शाई गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट , रेत व बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवत्ता पर संदेह पैदा होता है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें ।

अतः उक्त कार्यों में निर्धारित मानकों के अनुसार सही अनुपात में सीमेंट , रेत व बजरी का प्रयोग न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त कार्यों पर किए गए अनुपयोगी व्यय की वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना ।
2. अनुदान रजिस्टर
3. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
4. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
6. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

12 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2)40 / 2016-खण्ड-1-6630-6633दिनांक: 21.12.2016
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत धरमाण, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.